न्यायालय अध्यक्ष नगर विकास न्यास, अलवर एवं जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/56/2020

अपीलार्थीः–	प्रत्यर्थीः–
श्री राजू सिंह पुत्र बच्चू सिंह मौ0 टीटोडा, स्कीम नं0 2, अलवर, जिला अलवर।	लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन सचिव नगर विकास न्यास, अलवर।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

दिनांकः– 06.10.2020

—:: निर्णय ::—

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 16.07.20 के माध्यम से आवेदन पत्र में वर्णित बिन्दूवार सूचना चाही गई थी, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वॉछित सूचनाएं दिलवाई जावे।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वॉछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 28.09.2020 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उप0।
5. पत्रावली का आज अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन सचिव नगर विकास न्यास अलवर को कार्यालय के पत्रांक 713 दिनांक 16.09.20 एवं 746 दिनांक 28.09.20 से जबाव/वांछित सूचना उपलब्ध करने हेतु लिखा गया था, किन्तु वांछित जबाव/सूचना उपलब्ध नही कराया गया। दिनांक 6.10.20 को लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित हुवा जबाव प्रस्तुत नहीं किया गया। अपील प्रस्तुत होने के पश्चात् भी लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपील का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे स्पष्ट है कि उनके द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई, जो सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 में व्याप्त निर्देशों की अवेहलना की श्रेणी में आता है। लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों का निस्तारण नियम समय अवधि में किया जावें, साथ ही पूर्व में प्रेषित पत्र के अनुसार अपीलार्थी को सूचना निः शुल्क उपलब्ध करावें। अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है।
6. निर्णय आज **दिनांक 06.10.2020** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
7. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
8. निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।

(आनन्दी)
अध्यक्ष, नगर विकास न्यास
एवं जिला कलेक्टर,अलवर

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)